न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी वाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 18 / 2016 / वाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
भभूताराम पुत्र रावताराम उम्र 46 वर्ष जाति जाट निवासी आलमसार खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला वाड़मेर	बनाम 1.रामा पुत्र काना 2.फुआ पुत्र केसरा 3.नैना पुत्र केसरा 4.प्रभू पुत्र केसरा 5.पूनमा पुत्र रूगा 6.वीरा पुत्र रूगा 7.पेमा पुत्र रूगा 8.हरा पुत्र रूगा जाति जाट निवासी आमलसर खुर्द पटवार क्षेत्र उडासर तहसील गुड़ामालानी जिला वाड़मेर 9.तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/2009 बअनवान रामा बनाम फुसा वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2009 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री काछवाराम खोथ अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट वावजूद सूचना अनुपस्थिति ।

निर्णय

दिनांकः—04.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत ग्राम आलमसर खुर्द के खसरा नम्वर 79 रकवा 07 विस्वा, खसरा नम्वर 80 रकवा 37.04 वीघा, खसरा नम्वर 96 रकवा 09 वीघा, खसरा नम्वर 134 रकवा 52.08 वीघा कुल रकवा 98.19 वीघा व आलमसरिया के खेत खसरा नम्वर 37 रकवा 0418 वीघा व खसरा नम्वर 67 रकवा 90.02 वीघा कुल रकवा 98.19 वीघा पटवार क्षेत्र उड़ासर भू अभिलेख निरीक्षक उड़ासर तहसील गुड़ामालानी जिला वाड़मेर में आये हुए है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद में अपीलांट ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर न्यायालय में वकालतनामा पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
वाड़मेर

किया गया तथा बाद में जबावदावा पेश किया तथा मौके पर उभयपक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार भूमि का बंटवाडा करवाने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर अधिवक्ता अपीलांट ने उत्तरदाता संख्या 01 के साथ मिलीभगत कर गलत रूप से इकबाली जबावदावा पेश कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई तथा बाद में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विवाद्यक बिन्दू कायम ही मात्र वादी की ओर से एक गवाह रामा के बयान लिये तथा वादी से अपीलांट के अधिवक्ता ने जिरह तक नहीं की गई तथा अपीलांट की साक्ष्य लिये बिना ही अधिवक्ता अपीलांट ने उत्तरदाता संख्या 01 के अधिवक्ता के साथ सांठ गांठ कर प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करना बताते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करवा दी। विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी व आर आई ने मोके की सम्यक रूप से जांच बिना ही उत्तरदाता संख्या 01 के दबाव में रहते हुए गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जिस पर अपीलांट के कोई हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट अधिवक्ता की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है जबकि विभाजन के मामले में तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अपीलांट अधिवक्ता की धारा 05 के प्रार्थना–पत्र पर भी एकतरफा बहस सुनी गई अपीलांट अधिवक्ता ने धारा 05 के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2009 को पारित किया गया है तथा बाद में राजस्व रेकर्ड में भी नामान्तकरण पारित कर भूमि का गलत रूप से विभाजन कर दिया तथा वर्तमान में अरसा 20 दिन पूर्व उतरदातागण ने अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर कब्जा खाली करने व रहवासी ढाणी से बेदखल करने की धमकियां दी तथा कहा कि बंटवाडे में यह भूमि हमें प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट को अपने हक हकुक संशय प्रद लगे तो अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने सही जबाव नहीं दिया जिस पर अपीलांट ने दूसरा अधिवक्ता नियुक्तु कर प्रकरण की जानकारी प्राप्त की तो प्रकरण वर्ष 2009 में निर्णित होने की जानकारी हुई जिस पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 21.12.2015 को प्राप्त की तो सर्वप्रथम जानकारी हुई जिससे यह अपील वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर निर्णित करने की बजाय गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करने के लिए न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन की पर्याप्त रूप से तामील की रिपोर्ट प्रतिवेदित है। विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ, जिस पर दिनांक 21.12.2009 को अंतिम डिक्री जारी की गई। मौका फर्द दिनांक 08.11.2009 के संलग्न तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर युक्त रंगीन नक्शा पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्आतों की बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अधशीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 132/2009 बअनवान रामा बनाम फुसा वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2009 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर